COVID-19 Risk Mitigation Taskforce

फीजिवासियों द्वारा गैर-ज़रूरी सफर करने पर कोरनटीन के चार्जस

बारह मार्च 2021: दुनिया भर से फीजी लौटने वाले फीजिवासियों का कोरनटीन संबंधी खर्च पिछले एक साल से सरकार सह रही है। पिछले साल मार्च से बारह हज़ार आठ सौ से ज़्यादा फीजिवासी, फीजी के कोविड-सुरक्षा कोरनटीन प्रोटोकोल के नीचे सुरक्षित फीजी पहुँचे है जिसके लिए सरकार ने सीधे रूप से अट्ठारह मिलियन डोलर से ज़्यादा खर्च किया है जिनमें उन लोगों के भोजन, ठहरने की व्यवस्था, परीक्षण के खर्च, यातायात और अन्य व्यक्तिगत खर्च भरे गए है।

फीजी ने सुरक्षित रूप से परिवारों को मिलाया है और समाज में कोविड-19 फैलने से रोका है। इसके साथ लोगों को कोरनटीन सुविधा के लिए बिलकुल इंतज़ार नहीं करना पड़ता है जैसा कि अन्य देशों में देखा गया है। यह रिपोर्ट लगातार सामने आने के बाद कि लोग फीजियन सरकार द्वारा भरे गए कोरनटीन व्यवस्था से फायदा उठा रहे है, फीजियन सरकार ने फैसला किया है कि इसी महीने की उनतीस (29) तारीख से सरकार गैर-ज़रूरी सफर करके फीजी आने वालों का कोरनटीन खर्च नहीं सहेगी। जो फीजिवासी व्यक्तिगत कारण जैसे कि दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते है को चौदह दिन कोरनटीन में रहने का खर्च खुद सहना होगा।

यह चार्जस हमारे पड़ोसी देश जैसे कि औस्ट्रेलिया और निउ जीलेन्ड के अलावा अन्य विकसित देश के लागू करने के कई दिनों बाद फीजी में लागू किया जा रहा है।

यह नए चार्जस फीजियन पासपोट रखने वाले सभी लोगों पर लागू होते है जिनमें वो फीजिवासी भी शामिल है जो विदेश में रहते है और उनके पास दोहरी नागरिकता है या अन्य देशों की स्थायी नागरिकता है। इन चार्जस में ठहरने और भोजन का खर्च शामिल है जो सीधे कोरनटीन की सुविधा में भरे जाएंगे। कितना चार्जस रहेगा, यह कोरनटीन की सुविधा पर निर्भर करता है और यह पूरे चौदह दिनों के कोरनटीन के लिए दो हज़ार दो सौ डोलर के आस-पास हो सकता है। फीजी लौटने वाले सभी फीजिवासियों का कोविड-19 के कम से कम दो परीक्षण का खर्च, हवाई अड्डे से कोरनटीन सुविधा तक जाने का खर्च, निगरानी और साईट पर नज़र रखने का खर्च स्वास्थ्य मंत्रालय को भरना पड़ेगा।

इन चार्जस से छूट आसाधारण परिस्थितियों में सिर्फ उन्ही लोगों को दी जाऐगी जिन्हें कोरनटीन अथोरिटी ओफ फीजी, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पेमनन्ट सक्रेटरी है के द्वारा स्वीकृति मिलेगी। यह छूट तबही मिलेगी जब:

- फीजियन नागरिक जो पिछले साल अट्ठाईस मार्च से पहले विदेश गए है और अब घर वापस लौटना चाहते है;
- विद्यार्थी और उनपर निर्भर लोग जो सरकार द्वारा स्पोन्सर या सर्मथन किए हुए छात्रवृति पर पढ़ाई पुरी करके लौटना चाहते है;
- फीजी के स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति से विदेशी चिकित्सा के लिए गए मरीज़ और उन के साथी फीजिवासी घर लौटना चाहते है;

- फीजी के नागरिक जो फीजियन सरकार और अन्य सरकार के बीच समझौते के तहत विदेश नौकरी करने गए थे जैसे कि लईबा स्कीम के नीचे;
- और घर लौटने वाले सैनिकों, फीजियन सरकार के अधिकारी, फीजी के राजदूत (जिनके साथ उनके पति या पत्नी और अट्ठारह साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल है)जो औपचारिक कारणों से विदेश गए थे।

आगे बड़ते हुए फीजियन सरकार देश लौटने वाले फीजीवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लगातार प्राथमिक्ता देती रहेगी और फीजी की कोटनटीन प्रणाली का दुरूपयोग रोकती रहेगी ।

और जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदान करेगा।

समाप्त।